न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 36/2014

श्री बीरमसिंह पुत्र श्री नजीर उर्फ वजीरसिंह जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

————वादी

ब ना म

1– श्रीमति मंजूदेवी बैवा शंकरसिंह (नातायत पत्नि) जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा हाल निवासी गारद तहसील रायपुर जिला–पाली

2– श्री भीमा पुत्र श्री अल्लानूर जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

3– श्री आलू पुत्र श्री अल्लानूर जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

4– हंजा बैवा अल्लानूर जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

5– श्री रामसिंह पुत्र श्री नजीर उर्फ वजीरसिंह जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

6– श्री नन्दूसिंह पुत्र श्री नजीर उर्फ वजीरसिंह जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0 ———मृतक——

6/1– श्रीमति गंगादेवी– बैवा

6/2– श्री पप्पूसिंह बालिग – पुत्र

6/3– श्री राजूसिंह बालिग – पुत्र

7– श्री हुक्मसिंह पुत्र श्री नजीर उर्फ वजीरसिंह जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

8– श्री बेली पुत्र नजीर उर्फ वजीरसिंह जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0 ———मृतक———

8/1– श्रीमति सेनादेवी – बैवा

8/2– श्री महेन्द्र बालिग – पुत्र

8/3– श्री फिरोज बालिग – पुत्र

9– श्री रोशन पुत्र श्री नजीर उर्फ वजीरसिंह जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

10– श्री पिन्टू पुत्र सायर जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

11– श्री पप्पू पुत्र सायर जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

12– नैनी बैवा सायर जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर (प्रतिवादीसं. 10 से 12 हाल निवासी राजीयावास तहसील ब्यावर)

13– नैनी बैवा मिश्रु जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

14– श्री धुकल पुत्र श्री मिश्रु जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

15– श्री किशना पुत्र श्री मिश्रु जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

16– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय (लेण्ड होल्डर) एंव उपपंजीयक महोदय उपपंजीयक कार्यालय, मसूदा जिला–अजमेर राज0

17– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, अजमेर जिला–अजमेर राज0

–––प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 14.07.2017

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है, कि मौजा रावला बाडिया पटवार क्षैत्र झाक प्रथम में स्थित खसरा नंबर 53/2 रकबा 00–03–00

किस्म बा02, 54/2 रकबा 00–03–00 किस्म बा02, 91/1 रकबा 00–12–10 कुल रकबा 00–18–10 एंव मौजा रावला बाडिया पटवार क्षैत्र झाक प्रथम में स्थित खसरा नंबर 1/2 रकबा 11–05–00 किस्म बा03, 44/1 रकबा 03–03–00 किस्म बा03 कुल रकबा 14–08–00 एंव मौजा भरकाला पटवार हल्का अंधेरी देवरी में स्थित खसरा नंबर 138 रकबा 00–03–00 किस्म बा01, 139 रकबा 00–02–10 किस्म बा01, 140 रकबा 00–06–00 किस्म बा01, 141 रकबा 00–12–00 किस्म बा01, 142 रकबा 00–12–00 किस्म बा01, 143 रकबा 00–15–00 किस्म बा01, 149 रकबा 00–11–10 किस्म बा01 कुल रकबा 03–02–10 स्थित है। उक्त भूमि खसरा नंबर 53/2, 54/2, 91/1 प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की पूर्व भूमियां है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पति ने अपने इस हिस्से की तमाम भूमियो को पुख्ता दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरित किया है जो कि हस्तांतरण का दस्तावेज वादी के हक में है। इसी प्रकार भूमि खसरा नंबर 1/2, 44/1 में प्रतिवादी संख्या 1 के पति का 1/8 हिस्सा रहा है, इस 1/8 हिस्से का हस्तांतरण ही प्रतिवादी संख्या 1 के पति ने पुख्ता आधार पर वादी के हक में किया है, इसी प्रकार खसरा नबर 138, 149, 140, 141, 142, 149 में प्रतिवादी संख्या 1 के पति शंकर का 1/3 हिस्सा में से 1/8 हिस्सा है। मृतक अजीमा का सिजरा वाद पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित है। उक्त रावला बाडिया में स्थित भूमियो में प्रतिवादी संख्या 1 के पति की कुल भूमि 01–19–03 है। उक्त भूमियो में प्रतिवादी संख्या 1 के पति की व्यक्तिगत भूमि के अतिरिक्त संयुक्त खातेदारी की भूमियां है, जिसमें वादी के हिस्से के तौर पर 01–13–00 भूमि है। खसरा नंबर 53/2, 54/2 व 91/1 की भूमियो को स्व0 शंकरसिंह की व्यक्तिगत भूमियो है जिसे स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण करने का अधिकार रहा है क्योकि यह भूमियां कोई पुश्तैनी भूमिया नही है, इसी प्रकार खसरा नंबर 1/2 व 44/1 पुश्तैनी भूमियां है, जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा होने के साथ प्रतिवादी संख्या 1 के पति का भी 1/8 हिस्सा रहा तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 138, 149, 140, 141, 142, 149 में वादी का 1/3 में से 1/8 हिस्सा है तथा समान अन्तर प्रतिवादीसंख्या 1 के पति का भी 1/3 में से 1/8 हिस्सा रहा है, तथा मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के पति की कुल भूमियां 01–19–03 भूमि तथा वादी के हिस्से की भूमि 01–13–00 भूमि है। वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 15 पीढीदर पीढी पुश्तैनी आधार पर भंलीभाति जानते है, कि वादी के द्वारा ही मृतक शंकरसिंह पुत्र नजीर उर्फ वजीरसिंह की शिक्षा दिक्षा महाविद्यालय तक कराने का खर्च वादी के द्वारा किया गया तथा दो बार विवाह वादी के द्वारा ही मृतक शंकरसिंह जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का नातायत पति का विवाह करवाया था जिसका तमाम खर्च वादी के द्वारा उठाया गया वादी ने प्रथम रिती रिवाज के अनुसार शंकरसिंह का विवाह करवाया तथा शंकरसिंह का दूसरा नाता विवाह प्रतिवादी संख्या 1 से करवाया जो शंकरसिंह को बर्बाद कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 के पति मृतक शंकरसिंह के द्वारा वादी के हक मे तहरीर तकमील कराये गये दस्तावेज वसीयतनामा के तहत वादी कुल 02–19–16 भूमि का खातेदार होने बाबत अधिकार रखता है। शंकरसिंह का देहान्त सन् 2009 में हो गया। वादी ने प्रतिवादी संख्या 16 के समक्ष हल्का पटवारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 16 के समक्ष हल्का पटवारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर वादी के हिस्से में मृतक शंकरसिंह के हिस्से को जोडते हुये खातेदार काश्तकार होने की घोषणा होने के साथ साथ राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के लिये कहां तो दिनांक 28.3.2016 को हल्का पटवारी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी इसलिये यह वाद प्रस्तुत करना पडा है। अतः वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध भूमि खसरा नंबर 1/2, 44/1 में वादी का 1/8 हिस्सा व तथा खसरा नंबर 138, 149, 140, 141, 142, 143, 149, में 1/3 में

से 1/8 हिस्सा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के पति मृतक शंकरसिंह की भूमि खसरा नंबर 53/2, 54/2, 91/1 जो स्वअर्जित भूमि है, जिसका खातेदार वादी जरिये वसीयतनामा खातेदार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है, तथा दावे में वर्णित अनुतोष वादी को प्रदान किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा खर्चा वाद सम्पूर्ण दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में एकतरफा साक्ष्य वादी तलब की गई जिसमें वादी बीरमसिंह पुत्र श्री नजीर उर्फ वजीर जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का पेश कर वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया एंव दस्तावेजात प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपी ग्राम रावला बाड़िया पटवार हल्का झाक प्रथम की जमाबंदी संवत 2069 से 2072, प्रदर्श–2 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श–3 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संवत 2067 से 2070, प्रदर्श–4 वसीयतनामा दिनांक 16.3.2006 तथा प्रदर्श–6 एफ आर नम्बर 93/2016 व सीएफआर नम्बर 203/2016 प्रदर्शित किये गये।

प्रकरण में एकतरफा अंतिम बहस सुनी गई वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वाद स्वीकार करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी ने अपने वाद पत्र में जरिये वसीयत अपने आपको खातेदारी की घोषणा व विभाजन का अनुतोष चाहा गया है, प्रदर्श–1 ग्राम रावला बाड़िया पटवार हल्का झाक प्रथम की जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 770 के खसरा नंबर 53/2, 54/2, 91/1 में शंकरसिंह पुत्र नजीरा कौम मेरात का नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया जो पुश्तैनी न होकर श्री शंकर पुत्र नजीरा की खरीदशुदा भूमियां है। इसी प्रकार प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 520 खसरा नंबर 1/2, 44/1 में भीमा, आलू पिसरान अल्लानूर, हंजा बैवा अल्लानूर हिस्सा 1/2, रामसिंह, नन्दूसिंह, हुक्मसिंह, बेली, बीरमसिंह, शंकरसिंह, रोशन पिसरान नजीर, पिन्टू, पप्पू नाबा. पिसरान सायर, नेनी बैवा सायर नाबालिगान बसरबराही माता नैनी बैवा सायर हिस्सा 1/2 कौम मेरात के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–3 ग्राम भरकाला पटवार हल्का अन्धेरी देवरी की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के खाता संख्या नया 91 पुराना 87/88 के खसरा नंबर 138, 149, 140, 141, 142, 143, 149 में नजीरा, अल्लानूर, मिश्रु पिसरान अजीमा कौम मेरात का नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार प्रदर्श–4 वसीयतनामा दिनांक 16.03.2006 श्री शंकरसिंह पुत्र नजीर जाति मेहरात निवासी थल का बाडिया तहसील मसूदा ने अपने जीवनकाल में बीरमसिंह पुत्र नजीर जाति मेहरात जो कि वसीयतकर्ता का भाई है, उसके हक में अपने हक हिस्से व खरीदशुदा भूमि को वादी बीरमसिंह के हक में वसीयत कर दी है। तथा अपने दूसरी पत्नि नातायत पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 से खुश नही होने तथा वसीयतकर्ता की सेवा नही करने का कथन किया है, तथा इस वसीयतनामा के अनुसार उसकी चल व अचल सम्पत्ति का उपयोग व उपभोग करने तथा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

दर्ज करवाने का कथन किया है। इस प्रकार वादी बीरमसिंह मृतक शंकरसिंह की आराजीयात में स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी पाया जाता है। अतः प्रतिवादिया संख्या 1 के कोई हक अधिकार वादग्रस्त आराजियात में नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य व विवेचन के अनुसार वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा रावला बाडिया पटवार क्षैत्र झाक प्रथम में स्थित खसरा नंबर 53/2 रकबा 00–03–00 किस्म बा02, 54/2 रकबा 00–03–00 किस्म बा02, 91/1 रकबा 00–12–10 किस्म बारानी.3 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 00–18–10 की सम्पूर्ण भूमियो में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दियों में शंकर वलद नजीरा कौम मेरात के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार मसूदा पर पारित किए जाते हैं। तथा मौजा रावला बाडिया पटवार क्षैत्र झाक प्रथम में स्थित खसरा नंबर 1/2 रकबा 11–05–00 किस्म बा03, 44/1 रकबा 03–03–00 किस्म बा03 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 14–08–00 में वादी को 1/8 हिस्से एंव प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 1/2 हिस्से का एंव प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्से का एंव प्रतिवादीगण संख्या 10 से 12 को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा मौजा भरकाला पटवार हल्का अंधेरी देवरी में स्थित खसरा नंबर 138 रकबा 00–03–00 किस्म बा01, 139 रकबा 00–02–10 किस्म बा01, 140 रकबा 00–06–00 किस्म बा01, 141 रकबा 00–12–10 किस्म बा01, 142 रकबा 00–12–00 किस्म बा01, 143 रकबा 00–15–00 किस्म बा01, 149 रकबा 00–11–10 किस्म बा01 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 03–02–10 में वादी को 1/12 हिस्से का एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 15 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 9 प्रत्येक को 1/24–1/24 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 12 को 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, मसूदा को आदेश दिये जाते है कि वे यथानुसार वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 15 के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करें तथा उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में उनके उक्त हिस्से अनुसार पृथक–पृथक खाते व लगान कायम किये जावे व राजस्व नक्शा ट्रेस में उक्त हिस्सों अनुसार तरमीम किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादी के हिस्से में आई भूमियों के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादी को उसके हिस्से की भूमियो से बेदखल नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 12:09:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: